

## अध्याय V: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

### **एमएमटीसी लिमिटेड**

#### **5.1 सोने के लेनदेन में छूक के कारण देय राशि तथा छिपा हुआ लेखांकन**

सोने के कारोबार पर निर्देशों के पालन में विफलता, छिपे हुए लेखांकन तथा एमएमटीसी लिमिटेड में अप्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण के परिणामस्वरूप ग्राहकों से ₹ 295.99 करोड़ की देय राशि की उगाही नहीं हुई तथा ₹ 53.27 करोड़ की (दिसम्बर 2012 तक) परिहार्य हानि हुई।

एमएमटीसी लिमिटेड (कम्पनी), निर्यातकों से भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सोने, प्लेटिनम तथा चाँदी को आयात तथा आपूर्ति करती है। एमएमटीसी ओजीएल योजना के तहत घरेलू बाजार में विक्रय हेतु सोने तथा चाँदी का भी आयात करती है। बुलियन का आयात या तो भेजे गए माल के आधार पर या क्रेडिट (एसबीएलसी) के स्टेंडबाय पत्र/क्रेडिट पत्र के प्रति किया जाता है।

कम्पनी द्वारा सोने के व्यापार को समय-समय पर जारी आन्तरिक परिपत्र तथा बहुमूल्य द्यातुओं की प्रक्रियात्मक ड्रिल (बुलियन ड्रिल) में निहित दिशा-निर्देशों/शर्तों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। जब लेन-देन क्रेता क्रेडिट प्रणाली के तहत होता है तो कम्पनी सोने के मूल्य के साथ इंसिडेटल्ज़ को लेते हुए ग्राहकों द्वारा जमा किए धन के प्रति आमतौर पर विदेशी मुद्रा में 90 दिनों के लिए क्रेता क्रेडिट प्राप्त करती हैं। ग्राहकों से प्राप्त राशि को कम्पनी द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में बदल दिया जाता है। बीसी समयावधि की समाप्ति पर, इसी तरह लोन अगेंस्ट डिपॉजिट (एलएडी) का लाभ प्राप्त करके अथवा व्यय की ओर अतिरिक्त धन के साथ एफडी भुनाकर भुगतान किया जाता है। व्याज तथा ऐसी एलएडी से संबंधित लागत को ग्राहकों द्वारा वहन किया जाता है। बुलियन ड्रिल के अनुसार एफडीज की परिपक्वता अवधि बीसी की नियत अवधि के बराबर होती है जिसमें समय-समय पर एमएमटीसी द्वारा जारी निर्देशों को दोहराया गया है।

एसबीएलसी योजना के तहत, सोने के आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके पक्ष में एसबीएलसी खुलने के 180 दिनों तक का क्रेडिट एमएमटीसी को दिया जाना है। विदेशी आपूर्तिकर्ता के पक्ष में एमएमटीसी द्वारा व्यवस्थित एसबीएलसी, एमएमटीसी के साथ ग्राहकों अथवा ग्राहकों द्वारा एमएमटीसी के पक्ष में बनी एक एसबीएलसी द्वारा रखे गए धन (कम्पनी के नाम से एफडी) के साथ सुरक्षित हैं।

डोमेस्टिक गोल्ड लोन स्कीम के तहत, कम्पनी को ऋण (क्रेडिट) आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा ग्राहक को ऋण पर प्रेषित सोने की कीमत के एवज में बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऋण को अधिकतम 90 दिनों के लिए पहले दिया जा सकता है। योजना के तहत 200 कि.ग्रा. प्रति ग्राहक की उच्चतम सीमा को नियत किया गया है। ग्राहक द्वारा सोने की कीमत का भुगतान न करने पर कम्पनी द्वारा बीजी भुनाना आवश्यक है।

बुलियन ड्रिल विनिमय दर के उत्तर चढ़ाव के प्रति सुरक्षा हेतु विदेशी विनिमय दर कवर (एफईआरसी) प्राप्त करने का आदेश देती है। ऐसी एफईआरसी की लागत ग्राहकों द्वारा वहन की जाती हैं। मार्च तथा सितम्बर 2008 में जारी निर्देशों ने सोने के लेनदेन के मामलें में सभी बीसीज हेतु अनिवार्य एफईआरसी का आदेश दिया। इसके अलावा 18 दिसम्बर 2006 को जारी निर्देश

प्रत्येक लेनदेन को अलग तथा पूर्ण होने पर उपयुक्त रूप में व्यवहारित करने की आवश्यकता बताते हैं ताकि देयता से बचा जा सके। दूसरे शब्दों में, लेनदेन के समूह को निषिद्ध किया गया।

लेखापरीक्षा ने चेन्नई तथा हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओज) के लेन-देन की नमूना जाँच की तथा इसके तहत निम्नलिखित देखा:

### **क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई**

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि कम्पनी का चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, बुलियन ड्रिल के अनुपालन में विफल हुआ। कम्पनी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों तथा प्रतिदिन की कार्यवाही के आन्तरिक नियंत्रण उपायों के परिणामस्वरूप कम्पनी को भारी नुकसान हुआ जैसाकि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

- कम्पनी के चेन्नई क्षेत्र के कार्यालय ने क्रेता क्रेडिट प्रणाली के तहत मैं. शिव सहाय एण्ड सन्स (मैं. एसएसएस) के साथ 2007-08 से सोने का व्यापार प्रारम्भ किया। तथापि यह देखा गया कि वर्तमान विदेशी विनिमय का पालन नहीं किया गया क्योंकि फॉरवर्ड कवर को खुला रखा गया था। समिति की 10 फरवरी 2012 को आयोजित 67<sup>वीं</sup> बैठक हेतु "निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति के विचार के लिए नोट" में दिए गए एजेंडा आइटम संख्या 2 के पैरा 7(i) के अनुसार अन्तर विनिमय दर तथा क्रेता के ₹ 36.36 करोड़ के क्रेडिट व्यय को वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान मैं एसएसएस के खाते मैं जमा नहीं किया गया था।

इसके अलावा, बुलियन ड्रिल के निर्देशों के अनुसार ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई राशि को शामिल करते हुए कुल प्राप्त मूल्य का उपयोग भुगतान हेतु क्रेता क्रेडिट के तहत नियत तिथि के समान मेच्योरिटी के साथ कम्पनी के नाम पर फिक्सड डिपॉजिट प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इन निर्देशों के उल्लंघन में, मैं. एसएसएस के साथ उपर्युक्त लेनदेन से संबंधित एफडीज को 90 दिनों के लिए क्रेता क्रेडिट की अवधि की तुलना में लम्बी अवधि हेतु (एक वर्ष तथा अधिक के लिए) बैंकों के साथ रखा गया। कम्पनी ने बीसीज के भुगतान हेतु जमा राशि की नियत तिथि के प्रति ऋण लिया। इसके अतिरिक्त, जब मैं एसएसएस को एफडीज पर अर्जित ब्याज हेतु क्रेडिट दिया गया, तब एलएडीज पर कम्पनी द्वारा भुगतान किए ब्याज को मैं. एसएसएस के खाते मैं जमा नहीं किया गया।

सितम्बर 2011 से मार्च 2012 में आकर कम्पनी ने मैं. एसएसएस का ₹ 81.61 करोड़ के लिए डेबिट नोट बढ़ाया। मैं. एसएसएस ने कम्पनी द्वारा बढ़ाए डेबिट नोट पर विवाद खड़ा करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया।

- इसी तरह कम्पनी ने, 2007-08 से 2008-09 की अवधि के दौरान मैं. सुराना कोरपोरेशन लिमिटेड (मैं. एससीएल) के साथ एसबीएलसी योजना के तहत कारोबार किया जहाँ पर सोने का मूल्य ऋण के निपटान के समय पर तय किया जाना था। इन लेनदेनों में कम्पनी ने वैट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए मैं. एससीएल की सुविधा हेतु प्रेषण के समय पर प्रोविजनल आधार पर बीजक जारी किए। जब अन्तिम कीमत तय की गई, तब कम्पनी ने अन्तर मूल्य हेतु डेबिट नोट बढ़ाए। तथापि, मैं. एससीएल ने प्रोविजनल आधार पर जारी बीजकों को फाइनल मानते हुए लिबोर प्रभार, विद्होल्डिंग कर, एल/सी प्रभार आदि जैसे एसबीएलसी सहायक लेनदेन के साथ अन्तर लागत तथा अन्य लागतों पर विचार नहीं किया। कम्पनी तथा मैं. एससीएल के बीच अनेक पत्राचार विनिमय के पश्चात् कम्पनी ने

जून 2012 में 2007-08 से 2008-09 की अवधि से संबंधित ₹ 18.21 करोड़ की अंतिम मांग भेजी जिस पर मैं एससीएल द्वारा विवाद खड़ा कर दिया गया है।

आडिट कमेटी आफ डाइरेक्टर्स की 10-02-2012 को आयोजित 67<sup>वीं</sup> बैठक के विचार हेतु नोट में दिए गए एजेंडा मद संख्या 2 के पैरा 7(iv) में वर्णन के अनुसार, उपरोक्त (क) तथा (ख) दोनों में वर्णित मामलों में अधिकतर खाते के लेन-देन सर्पेंस खाते से किए गए थे तथा वह सर्पेंस खाते अन्य क्रेता खातों की समेकित प्रविष्टियों द्वारा समाप्त कर दिए गए। क्योंकि ग्राहकों के खाते में अत्यधिक क्रेडिट बैलेंस होना है अतः ग्राहकों के प्रति उपर्युक्त डेबिट जानकारी में नहीं आ सके।

कम्पनी में आतंरिक नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप क्रेडिटर के खाते में (अर्थात् विक्रेता मैं नेटेक्सिंस कमोडिटी मार्किट्स-एनसीएम) ₹ 116.69 करोड़ का एक गलत डेबिट बकाया था जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रविष्टियों की गलतियों/छुपी हुई प्रविष्टियों को शामिल किया गया।

- आन्तरिक नियंत्रण के अभाव का एक अन्य मामला बैंक खातों के सामंजस्य हेतु प्रबंधन की असफलता में देखा गया। परिणामस्वरूप 2009-10 में जमा की गई ₹ 17.99 करोड़ की राशि की एफडीजे को उसी वर्ष वेंडर सर्पेंस अकाउण्ट में हस्तांतरित कर दिया गया। ये एफडीजे लगभग दो वित्तीय वर्षों हेतु एमएमटीसी की पुस्तकों में दर्ज न होने के पश्चात् बाद में (2011-12) पहचानी तथा भुनाई गई।

इस प्रकार, निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण ₹ 99.82 करोड़ की देय राशि की उगाही न होने के रूप में ग्राहकों को अनुचित लाभ दिया गया। कम्पनी को उपरोक्त वर्णित राशि पर ब्याज के तहत ₹ 38.56\* करोड़ (दिसम्बर 2012 तक) की परिहार्य हानि उठानी पड़ी। ग्राहकों से परिणामी हानियों/वसूली योग्य राशि को रचनात्मक लेखांकन अभ्यासों द्वारा गुप्त कर दिया गया। इन गंभीर चूकों को एमएमटीसी के कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा 2011 के अन्त तक देखा नहीं गया।

प्रबंधन ने मैं एससीएल के खाते में अन्तर लागत की ओर जमा प्रविष्टियाँ न रखने तथा ग्राहकों के खातों की एलएडीजे पर ब्याज जमा न करने के संदर्भ में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (मार्च व नवम्बर, 2012) कि:

- (i) जैसाकि मैं शिव सहाय एंड सन्स आशान्वित थे कि स्पष्ट में एप्रिशिएसन होगा, अतः फारवर्ड कवर को खुला रखा गया।
- (ii) आरओ चैन्ने पर सोने का लेन-देन बड़े पैमाने पर था तथा इसलिए इन लेन-देनों का एक-एक लेन-देन के आधार पर निपटान करना संभव नहीं था।
- (iii) बुलियन व्यापार प्रणाली (बीटीएस) को 04 जुलाई 2012 से प्रभावपूर्ण क्रेता क्रेडिट तथा एसबीएलसी को शामिल करने हेतु उन्नत किया गया है।
- (iv) बुलियन व्यापार में, वाणिज्यिक सूझाबूझ की कमी तथा खाते के लेन-देन की बुकिंग में देरी, बैंक खाते के निपटान में देरी, वित्तीय प्रतिभूतियों (फिकर्ड डिपॉजिट आदि) के समुचित

\* 10 प्रतिशत ब्याज की दर पर

रिकॉर्ड का रख-रखाव न होना, ग्राहकों से सुनिश्चित बकाया की समय पर पुष्टि की विफलता, ग्राहकों से वसूली योग्य अन्य खर्च तथा ब्याज का लेखांकन न होना, ग्राहकों से टीडीएस की वसूली, ग्राहकों को गलत प्रतिदाय, विक्रेता खातों के हेरफेर हेतु उचन्त खातों के दुर्लभ्योग से लंबित वसूली के मामले व्यावसायिक आन्तरिक लेखापरीक्षकों (सीए) तथा सांविधिक लेखारीक्षकों द्वारा नहीं बताए जा सकें।

निम्नलिखित के मद्देनजर प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं:

- (i) 10 मार्च 2008 को जारी अनिवार्य एफईआरसी आवश्यकता के प्रमुख निर्देशों के उल्लंघन में एफईआरसी को खुला रखा गया।
- (ii) प्रबंधन का यह तर्क कि लेन-देन से लेन-देन के आधार पर निपटान करना संभव नहीं था, स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह कम्पनी के दिनांक 18 दिसम्बर 2006 के स्वयं के निर्देशों के विपरीत हैं जिसमें प्रत्येक लेन-देन को पृथक रूप से लेना तथा शेषों के अग्रेनयन का परिहार आवश्यक है। इसमें यह भी प्रावधान था कि किसी भी ग्राहक को सोने की रिलीज केवल तब की जाना थी जब पार्टी के खाते का पूर्ण रूप से मिलान किया गया हो तथा वह अद्यतन हो।
- (iii) बुलियन ट्रेडिंग प्रणाली में प्रभावी परिवर्तनों का केवल भविष्य में ही आकलन किया जाएगा। तथापि, तथ्य यह है कि कम्पनी ने कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण के कारण लगातार हानि उठाई।
- (iv) कॉरपोरेट कार्यालय लेखांकन के प्रतिमानों/सिद्धान्तों को लागू करने तथा मॉनीटर करने में जिन कारणों से विफल हुआ, उनका उत्तर में कोई ज़िकर नहीं किया गया था। बुलियन ड्रिल तथा आन्तरिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सही और सत्य वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रमुख उत्तरदायित्व, कम्पनी के प्रबंधन/कॉरपोरेट कार्यालय का ही था। कम्पनी ने भी उचन्त खाते से ग्राहक खाते में असंबंधित/अवर्गीकृत प्रविष्टियों के अंतरण हेतु कोई कारण नहीं बताया।

इस प्रकार, आरओ, चेन्नई द्वारा बुलियन व्यापार के अनुदेशों के अनुपालन में विफलता, उचन्त खाते खोलना तथा अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप कम्पनी को ब्याज के रूप में ₹ 38.56 करोड़ (दिसम्बर 2012 तक) की परिहार्य हानि हुई तथा ₹ 99.82 करोड़ की देय राशि की उगाही नहीं हुई।

### **क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद**

लेखापरीक्षा ने मार्च 2012 में क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) हैदराबाद के 2010-2011 तथा 2011-12 (नवम्बर 2011 तक) की समयावधि के लेन-देन की नमूना जाँच की तथा इससे पता चला कि ग्राहकों के एक मामले अर्थात् मैं, एमबीएस में, कम्पनी ने उपरोक्त वर्णित निर्देशों तथा बुलियन ड्रिल के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, बिना अतिरिक्त प्रतिभूति के फारवर्ड कवर को खुला रखा। इसके अलावा लेखापरीक्षा ने देखा कि मैं, एमबीएस द्वारा दी गई प्रतिभूति राशि में कमी 2010-11 में ₹ 19.04 करोड़ से बढ़कर नवम्बर 2011 में ₹ 72 करोड़ हो गई। मार्च 2012 में आरओ प्रबंधन, हैदराबाद तथा अप्रैल 2012 में कॉरपोरेट कार्यालय के अवलोकन में लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त स्थिति

बताए जाने के बावजूद, कम्पनी ने ग्राहकों से प्रतिभूति में कमी को पूरा करने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया तथा मैं. एमबीएस के साथ बुलियन व्यापार जारी रखा।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कॉरपोरेट कार्यालय (सीओ) ने जनवरी 2012 के दौरान अपने आपूर्तिकर्ता अर्थात् स्टेंडर्ड चारटर्ड बैंक एससीबी से 10 तथा 11 अप्रैल 2012 को पुनः भुगतान योग्य 90 दिनों के ऋण पर यूएसडी 2,55,35,400 (प्रत्येक 11<sup>वीं</sup> तथा 13<sup>वीं</sup> जरवरी 2012 को 250 कि.ग्रा. के दो चरणों में) पर मूल्यित 500 कि.ग्रा. सोना प्राप्त किया। यह बुलियन मैं. एमबीएस ग्रुप को बुलियन ड्रिल के प्रावधानों के उल्लंघन तथा बुलियन व्यापार पर समय-समय पर जारी परिपत्रों में ₹ 142.10 करोड़ के मूल्य हेतु आरओ, हैदराबाद द्वारा जारी की गई। बुलियन को मैं. एमबीएस से उपयुक्त प्रतिभूति के बिना प्रेषित किया गया। विदेशी मुद्रा की दर में उत्तास-चढ़ाव से बचाव के लिए कोई एफईआरसी नहीं ली गई तथा 200 कि.ग्रा. प्रति ग्राहक के परिमाणात्मक प्रतिबंध का उल्लंघन किया गया।

यद्यपि बताए गए 500 कि.ग्रा. सोने के परिमाण को जनवरी 2012 में मैं. एमबीएस को दे दिया गया तथापि देय तिथियों अर्थात् 10 तथा 11 अप्रैल 2012 तक इसके लिए भुगतान प्राप्त नहीं किया गया। नियत तिथि पर एससीबी को ऋण के पुर्नभुगतान के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आरओ ने सीओ से ₹ 140 करोड़ की राशि हस्तांतरित करने का निवेदन किया। यद्यपि सीओ ने आरओ, हैदराबाद को अप्रैल 2012 में ऋण के प्रेषण की नियत तिथि पर उक्त राशि हस्तांतरित कर दी थी, तथापि आरओ हैदराबाद ने ऋण का पुर्नभुगतान विभिन्न अन्य पार्टियों मुख्यतः मैं. चन्दा अन्जाईया परमेश्वर को की गई नकद बिक्री से हुई प्राप्तियों का प्रयोग करके किया एवं उन नकद बिक्रियों के प्रति नया क्रेता क्रेडिट (बीसी) लिया गया था। मार्च 2013 तक, 31 मार्च 2012 को दर्शाये गए बकाया उद्घाटन एवं एमबीएस को अनुबन्धित न किये गए बैंक/विविध प्रभारों एवं ब्याज, खुले रखे गए फारवर्ड कवर पर नुकसान के प्रति मैं. एमबीएस से लगभग ₹ 196.17 करोड़ की एक राशि वसूली करना शेष था। मैं. एमबीएस ग्रुप से ₹ 196.17 करोड़ की वसूली की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

प्रबन्धन ने मामले के तथ्यों को दोहराते हुए कहा (मार्च 2013) कि 11 एवं 18 अप्रैल 2012 को देय विदेशी आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता क्रेडिट की देयताओं के लिए रकम के प्रेषण के लिए ₹ 40 करोड़ की राशि माँगने की आरओ, हैदराबाद की प्रार्थना के अनुसार मामले की जाँच सीओ पर की गई। ₹ 210 करोड़ की कुल देयता के प्रति आरओ, हैदराबाद द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, मैं. एमबीएस ग्रुप के संबंध में ₹ 43 करोड़ के एक उद्घाटन के साथ ₹ 167 करोड़ की वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध थी। इस परिस्थितियों में सीओ के पास एकम के प्रेषण को प्रभावी करने के लिए आवश्यक निधि का हस्तांतरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि ऐसा ना करने से कम्पनी की विश्वसनीयता को अपूर्णनीय क्षति होती क्योंकि विदेशी बुलियन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में विलम्ब या चूक का कभी कोई अवसर नहीं आया था। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि मामला मैं. केपीएमजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन था एवं अन्तिम रिपोर्ट प्रतीक्षित थी।

प्रबन्धन का उत्तर बुलियन कारोबार के निर्देशों के अनुपालन, अस्पष्ट लेखांकन एवं कम्पनी में अप्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण को स्वीकार करने के समान है जिसके परिणामस्वरूप मैं. एमबीएस

से ₹ 196.17 करोड़ की देय राशि की वसूली नहीं हुई एवं एमएमटीसी लिमिटेड पर ब्याज के प्रति ₹ 14.71 करोड़<sup>1</sup> (दिसम्बर 2012 तक) का परिहार्य नुकसान हुआ।

उपरोक्त मामले अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यवाहियों की निगरानी एवं नियंत्रण में एमएमटीसी के उच्चतम प्रबन्धन एवं कार्पोरेट कार्यालय की पूर्ण विफलता को दर्शाते हैं। यह तथ्य कि चेतावनी चिन्हों जैसे समाधान ना किये गए बैंक खातों के बावजूद वर्षों बक ऐसे अनुचित व्यवहार को फलने की अनुमति देना, कम्पनी में कार्पोरेट गवर्नेंस की गुणवत्ता पर कथनीय टिप्पणी है। वाणिज्य मंत्रालय को संव्यवहारों को गंभीरता से लेने एवं कम्पनी में नियंत्रण तंत्र की विफलता को रोकने की आवश्यकता है।

आरओ चेन्नै एवं आरओ हैदराबाद के विषय में मामला मंत्रालय को क्रमशः अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2013 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2013)।

## 5.2 मैं. इंडियाबुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ संयुक्त कार्य में अविवेकपूर्ण निवेश

मई 2008 में जारी (जेवी की स्थापना से पूर्व) किए गए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन<sup>2</sup> के दिशा-निर्देशों में उस मुख्य आधार को ही अस्वीकार्य कर दिया गया था जिस पर जेवी में कम्पनी द्वारा निवेश व्यवहार्य माना गया था। कम्पनी ने जेवी में इक्विटी भागीदारी के अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं किया। परिणामस्वरूप घाटा उठाने वाले इस उद्यम में ₹ 26 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध रही।

मैं. इण्डिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईबीएफएसएल)<sup>3</sup> ने कृषि उत्पादों, औद्योगिक द्यातुओं एवं खनिजों, बुलियन एवं कीमती द्यातुओं एवं ऊर्जा (गैस एवं कच्चा माल) जैसे माल को लक्ष्य बनाने वाले स्पॉट एवं फ्यूचर मार्किट्स के गठन हेतु प्रस्तावित इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज में एक नीतिगत साझीदार बनने का प्रस्ताव करते हुए एमएमटीसी से सम्पर्क किया (जून 2007)। प्रस्ताव में ₹ 100 करोड़ की इक्विटी पूँजी के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना की परिकल्पना की गई जिसमें आईबीएफसीएल तथा एमएमटीसी को क्रमशः ₹ 74 करोड़ तथा ₹ 26 करोड़ का योगदान करना था।

कम्पनी ने प्रत्युत्तर में आईबीएफएसएल को प्राइस वाटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी), एसबीआई कैपिटल आदि जैसे प्रतिष्ठित सलाहकार द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तथा व्यवहार्यता अध्ययन प्राप्त करने हेतु निवेदन किया (जून 2007)। तदनुसार आईबीएफएसएल ने मैं. पीडब्ल्यूसी को नियुक्त किया। कम्पनी के निदेशक मंडल ने 07 सितम्बर 2007 को आयोजित अपनी 350<sup>4</sup> बैठक में पीडब्ल्यूसी द्वारा तैयार व्यवहार्यता रिपोर्ट पर विचार किया। मंडल ने आईबीएफएसएल द्वारा बनाए जा रहे विशेष प्रयोजन वाहन की भागीदारी हेतु भारत सरकार द्वारा मंजूरी की शर्त पर ₹ 26 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

<sup>1</sup> अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 तक नौ महीनों के लिए 10 प्रतिशत की दर पर ब्याज।

<sup>2</sup> फारवर्ड कांटेक्ट (नियामक) अधिनियम 1952 के तहत 1953 में गठित एक नियामक प्राधिकरण।

<sup>3</sup> उपभोक्ता ऋण, वाणिज्यिक वाहन ऋण, आवास ऋण, रक्विटी तथा वस्तुओं के लिए ब्रोकरेंज तथा डिपोजिटरी सेवाएं, स्थूचूअल फंड तथा अन्य तीसरी पार्टी उत्पाद का प्रेषण आदि के व्यापार में लगी एक खुदरा वित्तीय सेवा कम्पनी।

कम्पनी द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) की मंजूरी प्राप्त करते समय (सितम्बर 2007) बताए गए लाभ में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल थीं:

- एमएमटीसी सोना, चाँदी तथा कृषि वस्तुओं जैसे विद्यमान उत्पादों में विनिमय व्यापार करने में सक्षम हो जाएगा तथा कम से कम ₹ 500 करोड़ प्रति वर्ष के कारोबार की उम्मीद थी। कम्पनी लौह अयस्क तथा कोयले जैसी अपने हित की वस्तुओं का व्यापार भी कर सकती थी।
- कम्पनी को "सबसे पसंदीदा ग्राहक" का दर्जा दिया जाएगा तथा बिना और किसी भुगतान के सदस्य बना दिया जाएगा, जिससे कम्पनी की हेजिंग/व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार की लागत में काफी कमी आयेगी।
- कम्पनी के चयनित गोदामों का नामित गोदाम घोषित किया जाएगा।
- गुणवत्ता आश्वासन सेवाओं के साथ टाय-अप, कम्पनी को अपेक्षित मानकों/विशिष्टताओं की वस्तुएं प्राप्त करने में मदद करेगा।

एमओसीआई ने कम्पनी द्वारा इक्विटी भागीदारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी (अक्टूबर 2007)।

तदनुसार, इंटरनेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईएमसीईएल) के नाम पर 18 अगस्त 2008 को एक जेवी की स्थापना हुई। कम्पनी, आईबीएफएसएल तथा आईएमसीईएल के बीच 12 फरवरी 2009 को एक "शेयरधारक समझौता" (एसएचए) किया गया। कम्पनी ने ₹ 26 करोड़ निवेश किए। (मार्च तथा मई 2009 में) आईबीएफएसएल की जेवी में भागीदारी 40 प्रतिशत थी जबकि कृभको, आईडीएफसी तथा इंडियन पोटाश तथा अन्यों ने इक्विटी पूँजी का 34 प्रतिशत शेष रखा। जेवी का नाम बाद में जुलाई 2009 में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में बदल दिया गया। उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (एमओसीए एफ एंड पीडी) ने 9 अक्टूबर 2009 को आईसीईएक्स की मान्यता मंजूर की तथा आईसीईएक्स ने 27 नवम्बर 2009 को अपना कार्य प्रारंभ किया। आईसीईएक्स ने अपने सृजन के बाद से लाभ नहीं दिखाया तथा 31 मार्च 2012 तक उसकी संचित हानि ₹ 63.50 करोड़ थी।

इसी बीच, नियामक प्राधिकरण नामतः फारवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) ने "नए राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज की मान्यता के लिए दिशा-निर्देश" जारी किए (मई 2008)। उक्त दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 में यह प्रावधान था कि "प्रस्तावित विनिमय का एक डिस्यूचुअलाइजड ढांचा होगा अर्थात् विनिमय शेयर धारकों को विनिमय में एक व्यापारिक सदस्य या ग्राहक के रूप में कोई व्यापारिक हित नहीं होना चाहिए।"

लेखापरीक्षा ने देखा कि एफएमसी के उपरोक्त दिशा-निर्देश जेवी की स्थापना के काफी पहले जारी किए गए तथा वह मुख्य आधार ही नकार दिया गया था जिस पर कम्पनी द्वारा जेवी में निवेश को व्यवहार्य समझा गया। तथापि, प्रबंधन ने परिवर्तित स्थिति के परिदृश्य में जेवी में इक्विटी भागीदारी के अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया।

आगे यह देखा गया कि एसएचए तथा 17 जून 2010 को एफएमसी द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, कमोडिटी एक्सचेंज में इक्विटी निवेश तीन वर्षों की अवधि में लॉक कर

दिया गया था जिस पर एफएमसी द्वारा विषम परिस्थितियों में एक वर्ष की छूट दी जा सकती थी। इस प्रकार एक इक्विटी निवेशक के लिए न्यूनतम लॉक इन अवधि दो वर्ष थी।

लॉक इन अवधि के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए 2 अगस्त 2010 को आईबीएफएसएल ने कम्पनी को एमएमटीसी लिमिटेड और आईबीएफएसएल के साथ ₹ 47.35 करोड़ (₹ 5 के प्रति शेयर के लिए ₹ 9.10) की कुल क्षमता के लिए उनकी इक्विटी का 15 प्रतिशत और 11 प्रतिशत कटौती करते हुए एंकर निवेशक\* के रूप में आईसीईएक्स में 26 प्रतिशत शेयर के साथ मैं रिलायंस एक्सचेंजनेक्स्ट (आर-नेक्स्ट) को शामिल करने का प्रस्ताव दिया। 19 अगस्त 2010 को आईबीएफएसएल ने कम्पनी को पहले अस्वीकरण का अधिकार दिया जिससे आईबीएफएसएल ने एमएमटीसी लिमिटेड को समान नियम एवं शर्तों पर आईसीईएक्स में अपनी 26 प्रतिशत जमापूँजी का प्रस्ताव दिया जैसा कि आर-नेक्स्ट को दिया था। कम्पनी को 30 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देनी थी। आईबीएफएसएल से प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात् एक्सचेंज शेयरों का मूल्य तय करने के लिए एमएमटीसी लिमिटेड ने मैं आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड को संबद्ध किया और आईबीएफएसएल को निर्णय लेने के लिए 05 अक्टूबर 2010 तक समय देने के लिए कहा। एसएचए के अनुसार किसी मामले में, एमएमटीसी के पास पहले प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने के लिए 2 नवम्बर 2010 तथा आरओएफआर प्रस्ताव पर 19 नवम्बर 2010 तक का समय था।

दुबारा एसएचए और एफएमसी दिशा-निर्देशों के धोर उल्लंघन में, अनिवार्य लॉक इन अवधि पूरा होने से 15 महीने पहले ही 27/31 अगस्त 2010 को आईसीईएक्स द्वारा एफएमसी को आर-नेक्स्ट को आईबीएफएसएल का शेयर स्थानांतरित करने का आवेदन दिया गया। एफएमसी ने दिनांक 6 सितम्बर 2010 के पत्र द्वारा 4 कार्य दिवसों के भीतर अनुमोदन के लिए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, एमओसीएएफ एफ एंड पीडी को आवेदन अग्रेषित कर दिया।

उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, एमओसीएएफ एफ एंड पीडी ने असामान्य तत्परता दिखाते हुए, बदले में 12 कार्य दिवसों के भीतर ही (पत्राचार प्रेषण में लगे समय सहित) आर-नेक्स्ट को आईसीएक्स में शामिल करने की मंजूरी दे दी और एफएमसी को दिनांक 23 सितम्बर 2012 के पत्र द्वारा इसकी मंजूरी से अवगत करा दिया। इससे आईबीएफएसएल 13 दिसम्बर 2010 को आर-नेक्स्ट को 26 प्रतिशत शेयर हस्तांतरित करने में सक्षम हुआ, अर्थात् कमोडिटी एक्सचेंज की मान्यता से मात्र 13 महीनों के भीतर।

चूंकि कम्पनी आईबीएफएसएल का प्रस्ताव स्वीकार कर सकती थी और 2 नवम्बर 2010 तक अपनी इक्विटी को आंशिक रूप से छोड़ सकती थी, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, एमओसीए एफ एंड पीडी की लॉक इन अवधि में छूट के गलत निर्णय ने कम्पनी की आईसीएक्स में अपने शेयरों को आंशिक रूप से छोड़ने के निर्णय की संभावनाओं को समाप्त कर दिया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मार्च 2013) में इस मामले के तथ्यों को दोहराया और कहा कि एफएमसी एमएमसी के संशोधित दिशा-निर्देशों की जानकारी 23 जुलाई 2008 को आयोजित अपनी 358<sup>वीं</sup> बैठक में निदेशक मंडल को दे दी थी।

उपरोक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जेवी के समावेश से पहले एफएमसी के संशोधित दिशा-निर्देशों की जानकारी होने के बावजूद, प्रबंधन ने अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं किया

\* एंकर निवेशक एक निवेशक है जो एक नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज के प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाता है।

जिसके परिणामस्वरूप एक निष्फल उद्यम में ₹ 26 करोड़ अवरुद्ध हुए। उपभोक्ता मामला विभाग के अविवेकपूर्ण निर्णय से एमओसीए एफ एंड पीडी ने भी कम्पनी को इस उद्यम में अपने निवेश को घटाने के अवसर से मना कर दिया।

मामला मंत्रालय को मार्च 2013 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2013)।